जेल भेजे जाएँ कानून तोड़ने वाले : हाइकोर्ट

जबलपुर । ''मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने शहर की सड़कों के किनारे मांस-मछली के व्यापार के रिवाज को आड़े लेते हुए कहा कि जो नियम-कानून का पालन न करें उन्हें सीधे सलाखों के पीछे भेजो।'' उक्त आशय का समाचार भोपाल, मध्यप्रदेश से प्रकाशित सुप्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र 'राज एक्सप्रेस', में शनिवार, 2 फरवरी, 2008 के पृष्ठ 5 पर 'मध्यप्रदेश' शीर्षक के अन्तर्गत 'राज न्यूज नेटवर्क' के माध्यम से प्रकाशित हुआ है।

जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की युगलपीठ ने दिनांक 31-01-2008 को एक जनहित याचिका का निराकरण करते हुए कहा कि अधिकारी वर्ग सख्ती से कार्रवाई करें, ताकि किसी नागरिक को परेशानी का सामना न करना पड़े। हाइकोर्ट ने इस बारे में अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। यह जनहित याचिका सुरेशचन्द्र जैन (सुरेशचन्द्र जैन एवं अन्य, विरुद्ध- मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य, रिट पिटीशन नम्बर- 15787/2005, दिनांक 06-12-2005, त्रय याचिकाकर्त्ता- 1. सुरेशचन्द्र जैन बरगीवाले, 748-सराफा वार्ड, जबलपुर, अथवा- मे. सुनील ट्रेडर्स, 1010-मछरहाई, जबलपुर-482 002, मध्यप्रदेश, फोन- (0761)-2611121, 2650001, मो. 94243-05778, 94251-83884, 2. सुनील जैन, 139- शिव नगर, जबलपुर, मध्यप्रदेश, 3. अशोक जैन, विद्यासागर काम्प्लेक्स, तिलक भूमि की तलैया, जबलपुर, मध्यप्रदेश) आदि की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि शहर की सड़क किनारे खुले रूप से मांस और मछली बिक रही हैं। इससे न केवल पर्यावरण प्रदूषित होता है, बल्कि उसके कारण आवारा कुत्ते वहाँ एकत्रित होते हैं। याचिका के अनुसार इन मार्केटों के आसपास से गुजरने वाले राहगीरों को बदबू का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी भावनाएँ आहत होती हैं।

याचिका में कहा गया है कि नियमों के तहत मांस और मछली केवल उन मार्केटों में बिक सकती हैं, जो नगर निगम द्वारा अधिसूचित किए गए हों। याचिका में आरोप था कि इसके विपरीत पूरे शहर में मांस की बिक्री खुलेआम हो रही है।

याचिका में इस रिवाज पर अंकुश लगाए जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश तथा कलेक्टर-जबलपुर एवं आयुक्त-नगर निगम, जबलपुर से भी अनुरोध किया गया था। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान आवेदकों की ओर से अधिवक्ता ग्रीष्म जैन (114-मोहित चेंबर, चंचलाबाई कॉलेज रोड, राइट टाउन, जबलपुर- 482 002, मध्यप्रदेश, मो. 94251-51523) ने अपना पक्ष रखा। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता दीपक अवस्थी एवं न.नि. की ओर से अधिवक्ता शरद वर्मा ने कहा कि उन्हें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वे नियमों से बँधे हुए हैं।

सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि अधिकारियों को चाहिए कि वो अपने कर्तव्यों को गंभीरता से निभाएँ। ऐसा होने पर ही नागरिक अपने आपको असहाय महसूस नहीं कर सकेंगे। साथ ही उनमें कानून का पालन करने की जिम्मेदारी का अहसास होगा। इस मत के साथ अदालत ने उम्मीद जताई कि सक्षम अधिकारी इस मामले पर भी गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करेंगे।

राज्य शासन के द्वारा बनाए गए नियमों के उल्लंघन होते हुए देखकर सुरेशचन्द्र जैन एवं अन्य तथा अधिवक्ता ग्रीष्म जैन द्वारा किए गए सम्यक् प्रयास के लिए ये सभी जन निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। वहीं राज्य शासन के सम्बन्धित मंत्रालय, विभाग एवं अधिकारियों से भी प्रदेश भर में जनता के हितों को दृष्टि में रखकर न्यायालय के इस निर्णय का अनुपालन कठोरतापूर्वक कराए जाने की अपेक्षा है। ऐसा नहीं किए जाने पर उक्त मंत्रालय, विभाग एवं अधिकारीगण फिर न्यायालय की अवमानना के दोषी माने जाएँगे।

पाठकों से अपेक्षा है कि जहाँ वे अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ याचिकाकर्ताओं तथा अधिवक्ता महोदय को भी प्रेषित करें, वहीं मध्यप्रदेश के माननीय राज्यपाल राजभवन, भोपाल और माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालयों के विभागीय सचिवों के बल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश के पतों पर एवं कलेक्टर-जबलपुर, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त-नगर निगम, जबलपुर, मध्यप्रदेश आदि को पत्र या ई-मेल प्रेषित करके इस निर्णय को प्रभावी रूप से अमल में लाए जाने हेतु लिखें। साथ ही साथ याचिकाकर्ताओं या अधिवक्ता महोदय से सम्पर्क कर न्यायालयीन आदेश की एक सत्यापित प्रति प्राप्त कर अपने नगर के स्थानीय निकाय के वरिष्ठ अधिकारियों से उस पर अविलम्ब रूप से अमल किए / कराए जाने हेतु भी सार्थक प्रयास करें। अन्य प्रान्तों के जागरुक पाठक, कार्यकर्ता या संस्थाएँ भी इस याचिका के अनुरूप ही अपने राज्य के उच्च न्यायालय में नियमों का उल्लंघन होते हुए देखकर, उनके समीचीन परिपालन किए जाने हेतु जनहित याचिका दाखिल कर न्यायालय से योग्य दिशा-निर्देश प्रदान करने हेतु निवेदन कर सकते हैं।

□

Scanned by CamScanner